

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 16] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 9, 1981/पौष 19, 1902
No. 16] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 9, 1981/PAUSA 19, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

श्रम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 1981

का. आ. 19(अ).—केन्द्रीय सरकार, श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार-
पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1955 (1955 का
45) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के
श्रम मंत्रालय के आदेश सं. का. आ. 984(अ) तारीख 28 दिसम्बर, 1980 का
निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश में,—

(क) खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा,
अर्थात्:—

“(घघ) अध्याय 6 के पैरा 14 के उप-पैरा (19) के स्थान पर, निम्न-

लिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(13) जहां किसी कर्मचारी को इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार किसी वेतनमान में फिट किया जाता है वहां वह उसी तारीख को वेतन वृद्धि पाने का हकदार होगा जिसकी वह इस आदेश के ठीक पूर्व हकदार था।”

(ख) खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(च) मकान किराया भत्ते की बाबत सिफारिशें, अन्य भत्तों, फायवों और सुविधाओं, जो इस समय दी जा रही हैं, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना की जाती हैं। सिफारिशें, मकान किराया भत्ते की मात्रा या दरों पर भी कोई प्रभाव नहीं डालेंगी यदि उनमें से कोई भी समाचार एजेंसियों के कर्मचारियों की बाबत की गई सिफारिश से उच्चतर है।”

[सं. 5-24040/6/80-इड्यू. बी.]

आर. के. सुब्रह्मण्य, अपर सचिव

MINISTRY OF LABOUR

ORDFR

New Delhi, the 9th January, 1981

S.O. 19(E).—In exercise of the powers conferred by section 12 of the Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 (45 of 1955), the Central Government hereby makes the following amendments in the Order of Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 984(E) dated the 26th December, 1980, namely :—

In the said Order—

(a) after clause (d) the following clause shall be inserted, namely:—

“(dd) for sub-paragraph (13) of paragraph 14 of Chapter VI the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

“(13) Where an employee is fitted into a scale in accordance with the provisions of these rules he shall be entitled to count increment on the same date on which he was entitled to it immediately before this Order.”

(b) for clause (f) the following shall be substituted, namely:—

“(f) The recommendations regarding House Rent Allowance are made without prejudice to other allowances, benefits and facilities which are being paid at present. The recommendations will not also affect the quantum or rates of House Rent Allowance if either are higher than what is recommended in respect of the employees of news agencies.”

[No. V. 24040/6/80-WB]

R. K. A. SUBRAHMANYA, Addl. Secy.